राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8258/2023

कृष्ण कुमार पुत्र श्री पोकर राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी रुगोनियों का तला, भीमड़ा, तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर जरिये सचिव ।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री आर.एस. चौधरी। श्री महेंद्र
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री बी.एल. भाटी, एएजी एवं उनके सहायक श्री संदीप सोनी (प्रतिवादी/1 एवं प्रतिवादी/2) श्री प्रियांशु गोपा, श्री विनित सनाढ्य की ओर से (प्रतिवादी/3)

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>02/01/2025</u>

1. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों को यह निर्देश देने का अनुरोध कर रहा है कि वह अपने आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी ओबीसी से ओबीसी (खिलाड़ी) में बदलने

की अनुमति दे और तत्पश्चात् उसकी योग्यता के आधार पर उसकी उम्मीदवारी पर विचार करे। प्रतिवादी संख्या 3 - राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिनांक 16.12.2022 (अनुलग्नक 1) का एक विज्ञापन जारी कर उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (सामान्य/विशेष शिक्षा) स्तर II, कक्षा VI से VIII के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए थे। इसमें कहा गया था कि 2% रिक्तियाँ उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षित थीं।

2. याचिकाकर्ता ने अपना ऑनलाइन आवेदन ओबीसी (एनसीएल) के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन ई-मित्र ऑपरेटर की गलती के कारण, "उत्कृष्ट खिलाड़ी" के कॉलम मे "हां" के बजाय "नहीं" भर गया था। याचिकाकर्ता आवेदन पत्र में हुई गलती से अनभिज्ञ था और अगर उसे पता होता तो वह सुधार का अनुरोध करता। उसके पास 37वीं राष्ट्रीय सीनियर क्योरुगी और 10वीं राष्ट्रीय पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप, 2018 में भागीदारी का प्रमाण पत्र है, जहां उसने राजस्थान राज्य टीम में प्रतिस्पर्धा की थी। दिनांक 29.05.2023 को अपनी पत्नी के परीक्षा परिणाम की जांच करते समय याचिकाकर्ता को गलती का पता चला। फिर उसने 02.06.2023 को प्रतिवादी संख्या 3 अपनी श्रेणी को ओबीसी से ओबीसी (खिलाड़ी) में सुधारने का अनुरोध करते हुए संपर्क किया, किया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए यह याचिका।

3. प्रतिवादी संख्या 3 - कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अपने प्रत्युत्तर में लिया गया रुख, संक्षेप में, यह है कि किसी भी उम्मीदवार की ओर से हुई किसी भी असावधानी को दूर करने के लिए, सभी उम्मीदवारों के लाभ के लिए दिनांक 02.03.2023 (अनुलग्नक आर.3/1) को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी और उसे आधिकारिक वेबसाइट पर विधिवत प्रदर्शित किया गया था। सूचना में यह निर्धारित किया गया था कि यदि कोई उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई संशोधन करना चाहता है तो वह अनुमेय समय अवधि अर्थात, 03.03.2023 से 12.03.2023 तक के भीतर 300/- रुपये के मामूली भुगतान के अधीन किया जा सकता है। नोटिस के बावजूद, न तो याचिकाकर्ता ने अपनी श्रेणी बदलने का विकल्प चुना, न ही उसने कभी उसे जारी किए गए प्रवेश पत्र के संबंध में कोई शिकायत की। इसलिए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. शुरुआत में ही, मैं यह मानने को विवश हूँ कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामला पूरी तरह से बाद में सोचा गया प्रतीत होता है, और मैं याचिका का विरोध करने वाले प्रत्युत्तर में लिए गए रुख से सहमत हूँ। नोटिस दिनांक 02.03.2023 (आर -3/1) के बावजूद, याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा दी, जिसमें उसकी श्रेणी स्पष्ट रूप से ओबीसी बताई गई थी, न कि ओबीसी (खिलाड़ी)। इस प्रकार, प्रवेश पत्र पर अंकित विवरण से उसे पूरी तरह पता था कि वह ओबीसी श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, फिर भी उसने इसे स्वीकार कर लिया। इस स्तर पर, उसे यह दावा करते हुए बिल्कुल विपरीत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उसे ओबीसी (खिलाड़ी) श्रेणी में शामिल न किए जाने की जानकारी नहीं थी।

5. मुझे **अरविंद सिंह चौधरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11520/2023,** जिसका निर्णय 09.02.2024 को हुआ, में कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में निर्णय देने का अवसर मिला है। प्रासंगिक अंश, यथावत्, नीचे पुनः प्रस्तुत हैं:-

> *"6.* उपर्युक्त एसबी निर्णय को देखने के बाद, मेरा माननाहै कि याचिकाकर्ता इसका लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि ऐसी गलती, यदि हुई भी है, तो वह किसी असावधानी के कारण हुई होगी, जैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कंप्यूटर का उपयोग करते समय माउस क्लिक करना या ऐसी कोई अन्य गलती, जो पूरी तरह से लापरवाही के कारण हुई हो, जानबूझकर नहीं।
>
> *7.* जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, यह एक ऐसा मामला है जहाँ याचिकाकर्ता ने जानबूझकर सामान्य श्रेणी में अपनी उम्मीदवारी की योजना बनाई और पूरी चयन प्रक्रिया लगभग पूरी होने के बाद ही वह अपनी श्रेणी बदलने की कोशिश कर रहा है। एक बार मैच शुरू हो जाने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते, यह एक स्थापित कानून है। इस परिप्रेक्ष्य पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त निर्णय पर किया गया भरोसा पूर्णतः अनुचित है।
>
> *8.* उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यह एक ऐसा मामला है जहाँ याचिकाकर्ता ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी श्रेणी के चयन को अनजाने में किया गया दर्शाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वास्तविकता इससे उलट है। उसने जानबूझकर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में परीक्षा देने का विकल्प चुना, शायद इस धारणा के तहत कि ओबीसी श्रेणी की तुलना में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में उसके चुने जाने की संभावना ज़्यादा है, जहाँ पदों की संख्या सामान्य श्रेणी की तुलना में बहुत कम है।

> *9.* याचिकाकर्ता ने जानबूझकर सामान्य श्रेणी में अपना फॉर्म भरा था, यह इस तथ्य से भी प्रमाणित होता है कि बाद में, जब उसे परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया, तो उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा था कि प्रवेश पत्र सामान्य श्रेणी के लिए है। प्रवेश पत्र देखकर, याचिकाकर्ता परीक्षा में शामिल हुआ और लिखित परीक्षा में सफल रहा। तब तक, याचिकाकर्ता ने अपनी ओर से तथाकथित असावधानी का मुद्दा नहीं उठाया।
>
> *10.* इतना ही नहीं, यह पता चला है कि प्रतिवादी - बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक नोटिस जारी की, जिसमें सभी उम्मीदवारों से पूछा गया कि यदि किसी से अनजाने में श्रेणी गलत भरने के संबंध में कोई शिकायत है, तो वे *300* रुपये का मामूली शुल्क देकर इसे बदल सकते हैं। याचिकाकर्ता ने उस स्तर पर भी श्रेणी परिवर्तन का विकल्प नहीं चुना। हालाँकि, यह केवल तब हुआ जब दस्तावेज़ सत्यापन हो रहा था कि उसने एक आवेदन प्रस्तुत किया यानी उसकी श्रेणी बदल दी जाए, शायद ओबीसी श्रेणी में अपने समकक्षों की तुलना में उसके उच्च अंकों का लाभ उठाने के लिए, जिसमें निस्संदेह उसे वरिष्ठता में कई स्थानों का फायदा होता। याचिकाकर्ता की ओर से इस तरह का लापरवाह रवैया, कम से कम कहे तो अत्यधिक निंदनीय है।"

6. उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होता है। चूँकि याचिकाकर्ता का मामला इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, इसलिए मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिका को क्यों खारिज न किया जाए।

7. तदनुसार आदेश दिया जाता है।

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा), जे

54-मोहन/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है – हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate